सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 08, मंगलवार, *शाके 1946*- जनवरी 28, 2025
Magha 08, Tuesday, Saka 1946- January 28, 2025

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2025

संख्या एफ.15(66)पंरावि/विधि/न.पा.गठन/पाली/24/ईफाईल-46890/13070184:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 3554 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत सोजतरोड के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम सोजतरोड एवं ग्राम पंचायत सियाट के राजस्व ग्राम सियाट एवं ग्राम पंचायत भैंसाणा के राजस्व ग्राम सिसरवादा एवं ग्राम पंचायत रेन्दडी के राजस्व ग्राम आलावास (जिला पाली) को सम्मिलित करते हुए सोजतरोड को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका सोजतरोड में सम्मिलित ग्राम पंचायत सोजतरोड के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम सोजतरोड एवं ग्राम पंचायत सियाट के राजस्व ग्राम सियाट एवं ग्राम पंचायत भैंसाणा के राजस्व ग्राम सिसरवादा एवं ग्राम पंचायत रेन्दडी के राजस्व ग्राम आलावास (पंचायत समिति- सोजत) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगरपालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

उपरोक्तानुसार पृथक करने की कार्यवाही के पश्चात ग्राम पंचायत सियाट, भैंसाणा एवं रेन्दडी का निम्नानुसार स्वरूप रहेगा :-

ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1. सियाट	1. पांचूण्डा खुर्द
2. भैंसाणा	1. भैंसाणा
3. रेन्दडी	1. रेन्दडी 2. बासनी मुथा 3. बासनी तिलवाडिया

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।